


03.07.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।
प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम हाजरी खारिज हो गया।
मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे
कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर
खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

